ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 99-102

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

भारतीय राजनीति में मिलीजुली सरकारों का एक ऐतिहासिक अध्ययन

1. डॉ०लक्ष्मी कुमारी
2. नवरत्न कुमार

1. शोध अध्येत्री, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग 2. शोध अध्येता, शोध छात्र, इतिहास विभाग, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना (बिहार), भारत

Received- 05 .02.2022, Revised- 10 .02.2022, Accepted - 12.02.2022 E-mail: akbar786ali888@gmail.com

सारांशः – *वर्तमान भारतीय राजनीति एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है। संसदीय लोकतंत्र, संघीय स्वरूप एवं दलीय व्यवस्था में पिछले दो दशकों से उभरे अनेक संवेदनशील एवं गम्भीर उतार–चढ़ावों ने भारतीय राजनीति को एक नवीन युग में लाकर खड़ा कर दिया है। जनता द्वारा चुनी गई सरकारों द्वारा निरन्तर जनादेश की अवहेलना, चुनावी घोषणा पत्रों की अस्पष्टता, जनहित की उपेक्षा, राजनीतिक दलों की सिद्धान्तहीनता एवं सत्तालोलुपता, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अनदेखी, भ्रष्टाचार तथा राष्ट्रीय नेतृत्व की अक्षमता ने भारतीय जनमानस में तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के प्रति गहरी निराशा एवं असंतोष को जन्म दिया है। वर्तमान भारतीय राजनीति में संसदीय व्यवस्था के सभी पारम्परिक प्रतिमान यथा–जनता की प्रतिनिधि संस्था सम्प्रभु संसद, कार्यपालिका का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमण्डल में प्रधानमंत्री की केन्द्रीय स्थिति, राजनीतिक सजातीयता, मंत्रिमण्डलीय कार्यप्रणाली, विधायिकाओं के स्वरूप, विपक्ष एवं संवैधानिक प्रमुखों की भूमिका गम्भीर चुनौती का सामना कर रहे हैं।*

कुंजीभूत शब्द– संक्रमण, संसदीय लोकतंत्र, संघीय स्वरूप, दलीय व्यवस्था, संवेदनशील, भारतीय राजनीति, अक्षमता।

चुनाव उपरान्त किसी भी राजनीतिक दल द्वारा बहुमत हासिल नहीं कर पाने की विडम्बना ने भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों या मिली–जुली सरकारों की सम्भावनाओं को प्रबल बनाने का कार्य किया है। भारत में मिली–जुली सरकारें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस पार्टी की एक दलीय प्रभुता एवं वर्चस्व को चुनौती देते हुए भारतीय राजनीति के एक नवीन युग के आगमन का संकेत देती है। वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य में गठबंधन सरकारें भारतीय राजनीतिका यथार्थ बन चुकी है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि अखण्ड भारत के संघीय स्वरूप, स्वस्थ संसदीय परम्पराओं एवं लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं की मजबूती का मार्ग गठबंधन सरकारों के मौजूदा स्वरूप को केन्द्र में रखकर ही तलाश करना होगा।

गठबंधन सरकारों का इतिहास काफी पुराना है। बीसवीं सदी से पूर्व भी विश्व के विभिन्न देशों में गठबंधन सरकारों का अस्तित्व रहा है। 1983 के मध्य तक ब्रिटेन, स्पेन तथा ग्रीस आदि तीन यूरोपीय लोकतन्त्रों को छोड़कर शेष सभी देशों में अल्पमत सरकारों अथवा गठबंधन सरकारों का शासन रहा है। बोगडेनोर (Bogdanor) का मत है कि, 'गठबंधन सरकारों को संज्ञान में लिए बिना युरोपीय राजनीतिक व्यवस्था को समझना पूर्णतया असम्भव है।(It is hardly possible to understand European political systems without taking into account the working of coalitions.) दो या दो से अधिक दलों की गठबंधन सरकारें यूरोप में सर्वाधिक लोकप्रिय है। 1990 से लेकर 1995 तक यूरोप में कुल 91 मंत्रिमण्डलों का निर्माण हुआ जिसमें 19 एक दलीय प्रमुख पर आधारित सरकारें,68 बहदलीय तथा 4 कार्यवाहक सरकारें थीं। परन्तु इसके बावजूद गठबंधन सरकारें संस्थागत स्वरुप प्राप्त नहीं कर सकी। स्विटजरलैण्ड अकेला ऐसा यूरोपीय देश है जहाँ संघीय परिषद (बहुल कार्यपालिका) के रूप में संघीय सरकारें सदैव अपना निर्धारित कार्यकाल पूर्ण करती हैं। स्विस संघीय परिषद् में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य मिलकर सरकार का गठन करते हैं। हालैण्ड, नीदरलैण्ड एवं इसराइल आदि पश्चिणमी देशों में लम्बे समय से गठबंधन सरकारें शासन कर रही हैं।

पश्चिमी देशों में प्रायः चुनाव पूर्व गठबंधन के आधार पर सरकारों का गठन किया जाता है तथा गठबंधन में शामिल सहयोगी दल चुनाव पूर्व 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' के आधार पर गठबंधन में शामिल होते हैं। ऑग का मत है कि, 'मिली जुली सरकार एक ऐसे सहयोगी प्रबन्ध का नाम है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य सरकार के गठन या मन्त्रिमण्डल के लिए एक होते हैं।" सन् 1947 में श्रीलंका में शासन की शुरुआत गठबंधन सरकारों से ही होती है तथा 1977 में नवीन संविधान अपनाए जाने तक यहाँ मिली जुली सरकारें ही अस्तित्व में रही हैं। जापान में कई बार मिली–जुली सरकारों का गठन हो चुका है तथा वर्तमान समय तक भी जापान में मिली–जुली सरकार ही अस्तित्व में है। पं० जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा तथा न्यूजीलैण्ड आदि देशों में भी मिली जुली सरकारें कार्यरत रही हैं। इंग्लैण्ड में शुरु से ही द्विदलीय व्यवस्था रही है। यहाँ के लोग मिली जुली सरकारों को पसन्द नहीं करते हैं। द्विदलीय व्यवस्था होने के कारण यहाँ बहुमत प्राप्त दल सरकार का गठन करता है तथा दूसरा दल सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करता है। अतः द्विदलीय पद्धति वाले देशों में शान्तिकाल मेंगठबंधन सरकारें प्रायः नहीं के बराबर होती हैं। परन्तु ब्रिटेन में भी संकट तथा युद्धकाल में गठबन्धन सरकारों का गठन हुआ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजेमैकडोनाल्ड ने 1924 में कॉमनसभा में बोलते हुए कहा था कि –

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

Westminister model is not accoustomed to a minority goverment or coalition- A coalition may be acceptable in the wartime or national emergency but it is generally regarded as a regrettable necessity- England does not love coalitions- Coalitions are detestable and dishonest-

सामान्यतौर पर यही देखा गया है कि द्विदलीय व्यवस्था वाले देशों की तुलना में गठबंधन या मिली–जुली सरकारों की सम्भावना बहुदलीय व्यवस्था में ही अधिक होती है क्योंकि यहाँ प्रायः कोई भी दल में चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है।

भारत में सामान्यतया एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्था रही है। दलीय व्यवस्था के इस स्वरुप के कारण ही यहाँ केन्द्र एवं राज्यों में एक दल बहमत प्राप्त कर सरकारों का गठन करता रहा है। मॉरिस जोन्स ने भारतीय दल प्रणाली को 'एक दलीय प्रधानतावाली बहुदलीय पद्धति की संज्ञा दी है। मॉरिस जोन्स के अनुसार 'भारतीय राजनीतिक प्रणाली एकदलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था दर्शाती है जहाँ कांग्रेस की वर्चस्वता कायम है। 1988 तक केन्द्र में एक दलीय सरकार एक सामान्य स्थिति थी तथा गठबंधन सरकार अल्पकाल के लिए अपवाद स्वरुप ही रही है। इसी प्रकार राज्यों की राजनीति में गठबंधन सरकार के युग की शुरुआत 1967 से होती है। पिछले दो दशकों से अधिक समय से भारत में केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों में मिली–जुली सरकारों का गठन हो रहा है। गठबंधन सरकारें वर्तमान भारतीय राजनीति की अपरिहार्यता बन चुकी है। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संसदीय व्यवस्था को अपनाते हुए भारत में एक सशक्ता केन्द्रीय सरकार की कल्पना की गई थी। गठबंधन सरकारों के गठन, स्वरुप एवं कार्यप्रणाली आदि गम्भीर प्रश्नोंक पर भारतीय संविधान मौन है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तिपयाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित की गई है। संविधान के अध्याय 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक भारतीय राष्ट्रपति की पदस्थिति, निर्वाचन, पदावधि आदि का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा' तथा अनुच्छेद 53 यह उपबन्धित करता है कि 'संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।" संविधान के अनुच्छेद 74 में अधिकथित है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मन्त्रिपरिषदहोगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करना ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।" संविधान के 42 वें संशोधन विधेयक 18 द्वारा अनुच्छेद 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि "राष्ट्रपति को अपनी सहायता और सलाह देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा. राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा।" संविधान के 44वें संशोधन विधेयक 1978 अनुच्छेद 74 (1) में एक परन्तुक जोड़ा गया था तद्नुसार "परन्तु राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद् से जो परामर्श प्राप्त होगा उसके सम्बन्ध में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह मन्त्रिपरिषद् को इस परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कहे। लेकिन पुनर्विचार के बाद मन्त्रिपरिषद् जो परामर्श देगी राष्ट्रपति उसी परामर्श के अनुसार कार्य करेगा।" इस प्रकार राष्ट्रपति के सम्बन्ध में सांविधानिक स्थिति यह नियत करती है कि संसदीय प्रणाली के मूल सिद्धान्त के अनुरूप राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान है। किन्तु 44 वें संविधान संशोधन के उपरान्त यह स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रपति पदधारी व्यक्ति सहज नाममात्र का कार्यपालिका प्रधान ही नहीं है। वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों के अनुरक्षण के लिए निष्पक्ष एवं विवेकपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।

भारत में आम चुनावों के पश्चोत् प्रधानमंत्री की नियुक्तिम तथा सरकार गठन के सम्बन्ध में भारतीय राष्ट्रपति के समक्ष मुख्य रूप से दो प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। प्रथम–लोकसभा चुनाव में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो तथा दूसरा–चुनाव उपरान्त खण्डित जनादेश तथा त्रिशंकु संसद (Hung parliament) की स्थिति उत्पन्न हो जाए अर्थात् कोई भी दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सरकार गठन की स्थिति में नहीं। प्रथम परिस्थिति में संसदीय परम्परा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री ग्रहण करने के लिए बुलाया जाता है जैसा कि प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ आम चुनाव 1952, 1957 तथा 1962 में हुआ है। उक्त परिस्थिति में राष्ट्रपति विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर सकता है जो नियुक्ति के समय तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है। अनुच्छेद 75 (5) के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्तित को मन्त्रि परिषद् में शामिल कर सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है। उपरोक्त दोनों ही परिस्थितियों में सम्बन्धित व्यक्तिन के द्वारा पद ग्रहण करने के 6 माह की अवधि के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। 1952 से 1967 तक भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त रहा है तथा राष्ट्रपति द्वारा बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार गठन हेतु आमन्त्रित किया गया है। परन्तु राष्ट्रपति/राज्यपालों के समक्ष गम्भीर स्थिति उस समय उत्पन्नहोती है जब चुनाव उपरान्त किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तथा कोई भी दल सरकार गठन की स्थिति में नहीं है। भारत में

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

केन्द्रीय स्तर पर ऐसी परिस्थिति पहली बार 1977 में तथा राज्यों में 1967 में उत्पन्न हुई जब चुनावों में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर सका तथा त्रिशंकु संसद विधानसभा एवं खण्डित जनादेश की परिस्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद से कुछ अपवादों को छोड़कर 15 वें आम चुनाव तक खण्डित जनादेश एवं त्रिशंकु संसद विधानसभा की स्थिति ही उत्पन्न होती रही है। उक्त् परिस्थिति में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की नियुक्तिए को लेकर संवैधानिक प्रमुखों राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के समक्ष निम्नलिखित विकल्प विचार योग्य सिद्ध हो सकते हैं–

प्रथम–संसदीय परम्परा का पालन करते हुए चुनाव उपरान्त सबसे बड़े दल को सरकार गठन हेतु आमन्त्रित करना।
द्वितीय–चुनाव पश्चामत् अस्तित्व में आए सबसे बड़े गठबंधन के नेता को सरकार गठन हेतु आमन्त्रित करना।
तृतीय–सदन को स्वयं अपना नेता चुनने के लिए अधिकृत कर देना। चतुर्थ–लोकसभा को भंग करना।

चुनाव उपरान्त खण्डित जनादेश एवं त्रिशंकु विधायिकाओं की परिस्थिति ने देश के संवैधानिक प्रमुखों के समक्ष गम्भीर चुनौती उत्पन्न कर दी है। उक्तर परिस्थिति में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर संवैधानिक प्रमुखों के लिए निष्पक्ष, निर्विवाद छवि एवं पद की गरिमा को बनाए रखना कठिन हो गया है। चतुर्थ आम चुनाव 1967 से पूर्व केन्द्र व राज्य दोनों ही स्तरों पर स्तरों पर कांग्रेस को सत्ता में एकाधिकार प्राप्त था। चतुर्थ आम चुनावों में पहली बार केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, मद्रास और उत्तर प्रदेश आदि आठ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों के गठन से कांग्रेस के प्रभुत्व का अवसान हुआ तथा राज्यों की राजनीति में गठबंधन सरकारों के नवीन युग का श्री गणेश हुआ है। ई०पी०डब्लू०डी० रोसा के शब्दों में, 'चतुर्थ आम चुनाव में भारतीय जनता द्वारा मतदान के आधार पर क्रान्तिलाने का कार्य किया गया।''3मॉरिस जॉन्स लिखते हैं कि, '1967 के चुनावों में एक प्रायः नियमित और सतत् बदलू बाजार की ओर ले जाती एक बाजार नीति के उदगम की ओर प्रवृत्त किया। चतुर्थ आम चुनाव 1967 से 1970 के मध्य संसदीय व्यवस्था में 'प्रतियोगी दलीय व्यवस्था की दलीय पद्धति का जन्म हुआ। 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की पराजय, निरन्तर बढ़ती हुई महँगाई तथा पं० जवाहर लाल नेहरू के बाद कांग्रेस में प्रभावशाली नेतृत्व के अभाव ने कांग्रेस पार्टी के एकक्षत्रीय प्रभुत्व को चोट पहुँचायी। यही वह दौर था जब स्वर्गीय डॉ. राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में 'कांग्रेस हटाओ देश बचाओ' की आवाज बुलन्द हुई तथा 'गैरकांग्रेसवाद' या 'कांग्रेस विरोधी दलों को एक दूसरे के नजदीक लाने के प्रयास ने हुए। डॉ० लोहिया का विचार था किकेन्द्र व राज्यों में सत्ता पर कांग्रेस का जो एकाधिकार है वह तभी समाप्त हो सकता है जब विभिन्न राजनीतिक दल जो कांग्रेस के विरुद्ध हैं वे अपने मतभेद भुलाकर कांग्रेस के विरूद्ध चुनावी समझौता करें और सरकार बनाएं।'' भारत में गठबंधन राजनीति इसी गैर कांग्रेसवाद की पृष्ठभूमि से जन्म लेती है।

केन्द्र में पहली बार 1977 में गठबंधन सरकार की स्थापना हुई। 1977 से अब तक केन्द्र में 10 गैर–कांग्रेसी सरकारों का निर्माण हुआ। यह सभी सरकारें एक से अधिक राजनीतिक दलों ने मिलकर बनाईं और इनमें से एक या दो के अतिरिक्त कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल नहीं हो सकी। 1977 में केन्द्रीय स्तर पर श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार के सत्तारुढ़ होने पर प्रथम बार गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार का यह अल्पकालीन कार्यकाल था। इस चुनाव में जनता पार्टी ने एक चुनाव चिन्ह पर चुना लड़कर 539 में से 270 स्थान प्राप्त किए थे। कुलदीप नायर लिखते हैं, 'केन्द्र में जनता पार्टी सरकार की स्थिति एक मिली–जुली सरकार जैसी रही और सत्ता में भागीदार सभी गुट इस बात के प्रति सजग थे। परन्तु व्यवहार में घटक दलों के बीच परस्पर मतभेद और खींचतान की स्थिति बनी रही तथा संसदीय मानकों की प्रतिष्ठा की गम्भीर क्षति देखी गई।'' उक्त परिस्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष पी०ए० संगमा के शब्दों में, ''Normally, in a parliament, we have a single party government with multiparty oposition- This time] it is just reverse, we have multiparty government with single party opposition.'' पुनः 1979 में कांग्रेस पार्टी का बाहर से समर्थन प्राप्त कर श्री चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में 28 जुलाई 1979 को गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ परन्तु 22 अगस्त 1979 केवल 23 दिन ही इस सरकार का भी पतन हो गया। दलीय स्वार्थ, आपसी मतभेद तथा सहयोगी दलों की महत्वकांक्षा इस सरकार के अन्त का कारण बनी। 1980 में लोकसभा के मध्यावधि चुनावों में कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक एकाधिकार की पुनः स्थापना हुई। दिसम्बर 1984 के आठवीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 78.6 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुए तथा कांग्रेस 1971 से भी ज्यादा सीटें लेकर सत्ता में आई।

1989 के नौवीं लोकसभा चुनाव में केन्द्रीय स्तर पर श्री वी.पी सिंह के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई। राष्ट्रीय मोर्चा की यह सरकार न केवल एक मिली जुली वरन् एक अल्पमत सरकार भी थी। गैर कांग्रेसवाद के आधार पर गठित यह सरकार स्वयं अपने दल की आन्तरिक गुटबन्दी का शिकार हो गई थी तथा 22महीने बाद ही जब भाजपा ने इस सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो यह सरकार भी गिर गई। तदुपरान्त तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमन द्वारा दूसरे सबसे

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया गया श्री आर. वेंकटरमन के अनुसार –

Since the Congress (1) elected to ninth Lok Sabha with the largest membership] has not opted to take its claim for forming a goverment- I have invited Sri V-P- Singh, a leader of the second larg- est partly/group nemely janata Dal/National fornt to form a government and take a vote fo confidence in the Lok Sabha within 30 days of assuming office.

वी०पी० सिंह मंत्रिमण्डल के त्यागपत्र के बाद जनता दल से अलग होने वाले गट जनता दल (सोशलिस्ट) के नेता श्री चन्द्रशेखर ने 10 नवम्बर,1990 को कांग्रेस के बाहर से समर्थन के बल पर अति अल्पमत सरकार का गठन किया। इंका नेतृत्व के साथ मतभेद हो जाने पर चन्द्रशेखर सरकार ने 6 मार्च, 91 को त्यागपत्र दे दिया लेकिन दसवीं लोकसभा के चुनाव सम्पन्न होने (जून 91 के मध्य) तक यह सरकार पदारुढ़ रही। 20 जून,1991 को 10वीं लोकसभा का विधिवत् गठबंधन हुआ। अल्पमत में होने के बावजूद भी कांग्रेस ने श्री नरसिंह राव के नेतृत्व में सरकार का निर्माण किया। इसने अन्य दलों के समर्थन से अपना पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया।

ग्यारहवीं लोकसभा के चुनावों (अप्रैल–मई 1996) ने सम्पूर्ण अर्थों में 'खण्डित जनादेश' तथा त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति को जन्म दिया। नौवीं लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय मोर्चा ने सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया था और दसवीं लोकसभा चुनावों में कांग्रेस सरकार गठन की सम्भावना स्पष्ट थी परन्तु ग्यारहवीं लोकसभा चुनावों में जनता ने लगभग सभी राजनीतिक दलों को अस्वीकार कर दिया था। भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार गठन का दावा पेश किया तथा श्री अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने गठबंधन सरकार का गठन किया, परन्तु यह सरकार लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर सकी तथा 13 दिनों बाद ही भाजपा मंत्रिमण्डल का अन्त हो गया। बाजपेयी सरकार के पतन के बाद जून 1996 में देवगौड़ा सरकार पदारूढ़ हुई, लगभग 10 महीने बाद इस सरकार का पतन हो गया तथा अप्रैल 1997 में गुजराल सरकार का पतन हो गया।

12वीं लोकसभा चुनाव 19 मार्च 1998 से त्रिशंकु संसद और खण्डित जनादेश की स्थिति उत्पन्न हुई। चुनावों के बाद 19 दलों के सबसे बड़े गठबंधन के नेता के रूप में श्री अटल बिहारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का गठन हुआ। सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद से सबसे बड़े दल ए.डी.एम. की नेता जयललिता ने विभिन्न प्रकार की माँगों को लेकर सरकार पर अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया तथा मांगे पूरी न होने पर 14 अप्रैल,1999 को सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी और केवल 13 महीने बाद 17 अप्रैल,1999 को दूसरी भाजपा सरकार का अन्त हो गया।

13वीं लोकसभा चुनाव 1999 में सहयोगी दलों के साथ "राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन (नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस–एन०डी०ए०) के सामान्य मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़कर 543 सीटों में से 305 सीटे प्राप्त कर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रुप में उभरी तथा 13 अक्टूबर 1999 को मोर्चे के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरे भाजपा मंत्रिमण्डल के प्रधानमंत्री के रुप में शपथ ग्रहण ही। श्री बाजपेयी के नेतृत्व में राजग सरकार ने कुशलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा करते हुए लगभग आठ माह पूर्व लोकसभा के चुनाव करवाने का फैसला लिया।

14वीं लोकसभा चुनावों (अप्रैल–मई,2004) में राजग पराजित हुआ तथा 12 सहयोगी दलों के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन' के रूप में काँग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। श्रीमती सोनिया गाँधी यू०पी०ए० की अध्यक्ष चुनी गई तथा डॉ० मनमोहन सिंह के नेतृत्व में काँग्रेस की पहली गठबंधन सरकार का गठन हुआ। बामपंथी दलों ने मंत्रिमण्डल से बाहर रहकर सरकार को समर्थन देना स्वीकार किया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. N- Jose Chander, Coatition Politics : The indian Eperience & Concept Publishing Company, New Delhi&59, First Published 2004.
2. Coalition government denotes a co&operative arrangement under which district political parties units to form government or ministry-&099.
3. मॉरिस जोन्सज, गवर्नमेंट एण्डव पॉलिटिक्सद ऑफ इण्डिया, 1971, पृष्ठद 750.
4. E-P-W- de: Roots of Changes in Popular Vote; The Hindu; March 17, 1967.
5. उदयभान सिंह,''भारतीय राजव्यमवस्था –एक समग्र विवेचन, 2002, पृष्ठव 451.
6. डॉ० गौरी शंकर 'राजहंस','क्यों नहीं चल पाती है गठबंधन सरकारें, हिन्दुरस्ता1न, 18 अप्रैल, 1991.
7. Kuldip Nayar : Charan Singh May Strike at Centre, Indian press, 21 April, 79- P&1.

*****